



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938

No. 791]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/CHAITRA 12, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

का.आ. 1278(अ)—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के “कर्नाटक” शीर्षक के अधीन, “आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित भाग-I में, क्रम संख्याक 79ड. और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
“79ड. केएलई विश्वविद्यालय, बेलगांव	(क) आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	2015 से आगे केंद्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन।
	(ख) आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	1 जुलाई, 2012 से आगे
	(ग) आयुर्वेद धन्वंतरि	एम.एस. (आयुर्वेद)	केंद्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन।”

[फा. सं. वी.12013/03/2015-ईपी (आईएम-2)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 4068(अ), तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 2990(अ), तारीख 02 नवंबर, 2015 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

S.O. 1278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Second Schedule to the said Act, in PART - I relating to “AYURVEDA AND SIDDHA”, under the heading “Karnataka”, for serial number 79E and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
“79E. KLE University, Belgaum	(a) Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2015 onwards subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by Central Government.
	(b) Ayurveda Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	From 1 st July 2012 onwards subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by Central Government.”.
	(c) Ayurveda Dhanvantri	M.S. (Ayurveda)	

[F. No.V.12013/03/2015-EP(IM-2)]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended vide notification S.O. No. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and was last amended vide notification S.O. No. 2990 (E), dated the 2nd November, 2015.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938

No. 792]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/CHAITRA 12, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का.आ. 1279(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“आयुर्वेद और सिद्ध” संबंधी दूसरी अनुसूची के भाग-1 में, “हरियाणा” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 24खग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
“24खग पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनीवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक, हरियाणा	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	2014 से आगे केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कॉलेजों में प्रवेश के लिए दी गई अनुमति के अधीन रहते हुए, अर्थात्:- (i) श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्थल बोहर, रोहतक। (ii) गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, ब्राह्मणवास, रोहतक। (iii) मुरारी लाल रसिवासिया आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, चरखी दादरी, भिवानी।

			(iv) श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, उमरी रोड, कुरुक्षेत्र। (v) चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जगाधरी, यमुना नगर।”
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[फा. सं. वी. 12013/06/2014-ईपी(आईएम-2)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची प्रथम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. सं. 4068(अ), तारीख 30 नवम्बर, 1979 द्वारा संशोधित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ.सं. 2990(अ) तारीख 02 नवम्बर, 2015 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2016

S.O. 1279(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Second Schedule, in PART I relating to “AYURVEDA AND SIDDHA”, under the heading “HARYANA”, for serial number 24BC and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
“24BC. Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2014 onwards subject to permission granted for admission by the Central Government to the following colleges, namely:- (i) Shri Baba Mastnath Ayurvedic College, Asthal Bohar, Rohtak; (ii) Gaur Brahmin Ayurvedic College and Hospital, Brahmanwas, Rohtak; (iii) Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College and Hospital, Charkhi Dadri, Bhiwani; (iv) Shri Krishna Government Ayurvedic College and Hospital Umri Road, Kurukshetra; (v) Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Jagadhri, Yamuna Nagar.”.

[F. No.V.12013/06/2014-EP(IM-2)]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended vide notification number S.O. No. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and was last amended vide notification number S.O. No. 2990 (E), dated the 2nd November, 2015.


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1337]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938

No. 1337]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

**आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

का.आ. 1929(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“आयुर्वेद और सिद्ध” संबंधी दूसरी अनुसूची के भाग-1 में, “राजस्थान” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 92ख के समक्ष स्तंभ (1) में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

“डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर”

[फा. सं. वी.12013/18/2011-ईपी(आईएम-2)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में का. आ. सं. 2994(अ), तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का. आ. सं. 1279(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY**

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2016

S.O. 1929(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In Part I of the Second Schedule, relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Rajasthan”, against serial number 92B, in column (1), for the entry, the following shall be substituted, namely:-

“Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur.”.

[F. No.V.12013/18/2011-EP(IM-2)]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O.2994, dated the 10th August, 1971 and last amended *vide* number S.O.1279(E), dated the 22nd March, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1919]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

No. 1919]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

का.आ. 2583(अ)—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग-I में "आयुर्वेद और सिद्ध" के संबंध में, "पश्चिमी बंगाल" शीर्षक के अधीन,

(i) क्रम संख्यांक 117 के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ (4) में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>"1 मई, 2010 से आगे, केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए की गई मंजूरी अनुज्ञा के अध्यक्षीन रहते हुए, अर्थात्:-</p> <p>(i) जे. बी. राय राज्य आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, 170-172, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कोलकाता-700004, पश्चिमी बंगाल;</p> <p>(ii) बेल्ली - शंकरपुर राजीव गांधी स्मारक आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, पोस्ट कुशडंगा, जिला उत्तर 24-परगना, निकट रेलवे स्टेशन, कंकीनाडा - 743126, पश्चिमी बंगाल"</p>

(ii) क्रम संख्यांक 117क के सामने और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ (4) में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			“1 जनवरी, 2007 से आगे, केंद्रीय सरकार द्वारा स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, श्यामदास विद्या शास्त्र पीठ, 294/3/1, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-700009, पश्चिमी बंगाल को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अध्यधीन रहते हुए।”

[फा. सं. वी.12013/02/2011-ईपी(आईएम-2) (भाग-1)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची अधिसूचना संख्या का. आ. संख्या 4068 तारीख 30 नवम्बर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 1929(अ), तारीख 25 मई, 2016 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2016

S.O. 2583(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In Part - I of the Second Schedule to the said Act, relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “West Bengal”,-

(i) against serial number 117 and the entries relating thereto, the following entries in column (4) shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
			“From 1 st May, 2010 onwards, subject to permission granted for admission by the Central Government to the following colleges, namely:- (i) J.B. Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital, 170-172, Raja Dinendra Street, Kolkata - 700 004, West Bengal; (ii) Belley-Sankarpur Rajib Gandhi Memorial Ayurvedic College and Hospital, Post Kushdanga, Distt. North 24- Parganas, Near Railway Station, Kankinara -743126, West Bengal.”.

(ii) against serial number 117 A and the entries relating thereto, the following entries in column (4) shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
			“From 1 st January, 2007 onwards, subject to permission granted to Institute of Post Graduate Ayurvedic Education and Research, Shyamdas Vaidya Shastra Pith, 294/3/1, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata - 700009, West Bengal for admission by Central Government.”.

[F.No.V.12013/02/2011-EP(IM-2) (Pt.I)]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. No. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O.No.1929(E), dated the 25th May, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1991]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1991]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

का.आ. 2668(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची के भाग-1 में, "आयुर्वेद और सिद्ध", "केरल" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 43ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तंभ 1, 2, 3, और 4 में निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
"43ग कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	2002 से 2012 तक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए की गई मंजूरी अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, अर्थात्:- (1) राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर; (2) परस्सीनिकडवु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, परस्सीनिकडवु, कन्नूर 2013 से आगे केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए की गई मंजूरी अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, अर्थात्:-

			(1) राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर; (2) परस्सीनिकडवु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, परस्सीनिकडवु, कन्नूर; (3) पी एन पणिक्कर सौहरुदा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, परकलाई, कन्हनगढ, केरल.
	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी (आयुर्वेद)	2006 से 2009 तक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए।” 2010 से आगे, केंद्रीय सरकार द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए।”

[फा. सं. वी. 12013/14/2011—ईपी (आईएम-2)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची में प्रथम संशोधन अधिसूचना का.आ. सं. 4068(अ) तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना का.आ. सं. 2583(अ) तारीख 26 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2016

S.O. 2668(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule to the said Act, in PART - I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Kerala”, after serial number 43B and the entries relating thereto, the following serial number and entries in column 1, 2, 3 and 4 shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
“43C Kannur University, Kannur	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 2002 to 2012, subject to permission granted for admission by the Central Council of Indian Medicine to the following colleges, namely:- (1) Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur; (2) Parassinikkadavu Ayurved Medical College, Parassinikkadavu, Kannur.

			<p>From 2013 onwards, subject to permission granted for admission by the Central Government to the following colleges, namely:-</p> <p>(1) Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur;</p> <p>(2) Parassinikkadavu Ayurved Medical College, Parassinikkadavu, Kannur;</p> <p>(3) P N Panicker Souhruda Ayurveda Medical College, Parakalai, Kanhangad, Kerala.</p>
	Ayurved Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	<p>From 2006 to 2009, subject to permission granted to Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur for admission by Central Council of Indian Medicine.</p> <p>From 2010 onwards, subject to permission granted to Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur for admission by Central Government.”.</p>

[F. No. V. 12013/14/2011-EP(IM-2)]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. No. 4068(E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O. No. 2583(E), dated the 26th July, 2016.